

2020/09/08
व्यावसायिक अर्थात् कृषिकारी अर्थात्

विद्यमान है विकारी, आगिन पुत्रा RIT

प्राप्तये मुं नं 49/2020

प्यारा 136 CR 88

निर्णय दिनांक 8-9-2020

पपुराम उर्फ किपूराम पुत्र शिवराम जाति जाट (मातृ)
निवासी दाऊदाभा तहसील रतनगढ़ प्रार्थी

कनाम

राजस्थान सामाजिक तहसील रतनगढ़
अर्थात्

उपस्थित

1) श्री मदनराय सिद्धा एड

2) श्री राध



निर्णय

प्रार्थी के वकील की ओर से प्रार्थना पत्र इस
प्रकार पेश हुआ कि प्रार्थी की संयुक्त स्वामित्वी भूमि जलम
दाऊदाभा नया की शेही में खाल संख्या नया 145 के खाल
खाल नया 967 कुल वादाही 9-1686 हेक्टर भूमि स्थित
थली आ रही है उक्त भूमि में प्रार्थी पपुराम उर्फ किपूराम
पुत्र शिवराम का 1/3 हिस्सा की कुछ संयुक्त स्वामित्वी है
प्रार्थी का अन्य देखरेख जैसा शसन मर्डि, बैंक पास बुक,
मरदार पत्र, कान्या मर्डि, पासपोर्ट, फेनमर्डि, फॉफ मर्डि,
आमाशाह मर्डि आदि में प्रार्थी का नाम पपुराम पुत्र शिवराम

8/09/2020
उप खण्ड अधिकारी

रतनगढ़ (पूर)



अंगित हो उर दो नामो के बाण जारो के खामा हार
 तारी विभिन्न योफनामो का लाभ कादि लेके म कापी परशासिक
 का खमना माना पत्राहें इमजिफ नाम संशोचन करे हेर
 प्रार्थना पत्र पत्रा मिमा ले,

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र मिमा जाना लहरीनका
 रतनगढ़ से रिपोर्ट मंगवाये जाये इजार्फे के बाण
 उपस्थित व लहरीनका रतनगढ़ से रिपोर्ट जाह ईर
 की जगम दारुमा के शेर खन 967 नादाही 9-1686
 मंजारी का नाम किपूराम पुत्र रावतराम जाति जाह नि
 दारुमा दर्ज है तथा प्रार्थो का अन्य दस्तावेजो मे
 जैम शसन कई, भाया कई, पासपोर्ट आदि मे पपुराम पुत्र
 रावतराम नाम अंगित है किपूराम लव पपुराम पुत्र
 रावतराम एक ही व्यक्ति है इर किपूराम के स्थान पर
 प्रार्थो का नाम पपुराम मिमा जाना उचित है

प्रार्थना पत्र एव प्रार्थना पत्र मे जाह रिपोर्ट
 का कवलीकत मिमा जाना व कस सुनी जाये जाह
 रिपोर्ट व कस मे जाह यह न्यायानम प्रार्थो का
 शपथ रेमाहि शेर खन 967 नादाही 9-1686 शरी
 दारुमा मे किपूराम के स्थान पर पपुराम नाम संशोचन
 मिमा जाना उचित समझल है

आदेश

लहरीनका रतनगढ़ की जाह रिपोर्ट एव प्रार्थो की
 जो से अहुर दस्तावेजो के भाया पर लहरीनका



उप बण्ड अधिकारी
 रतनगढ़ (बृस)

रतनगढ़ में आदेश दिया जागा है की इकेर खसरा नम्बर
967 गदादी 9-1686 रोही ग्राम दामन (नया) नल्पीत
रतनगढ़ में पार्की का नाम कि पुराम उठा रावगराम
के स्थान पर पपुराम उठा रावगराम संशोधन किया
जावे आदेश की प्रति नल्पीतदा रतनगढ़ में पान्तर्ग
मिदवार्य।

निर्णय आद दिनांक 08/09/2020 को सुलत

व्याधान्त में सुकामा गया।

08/09/2020
रतनगढ़ (बुल)

